न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मु.न.	तारीख रजु	तारीख निर्णय
14/25	25.06.2025	11-03-26

रामकरण पुत्र भजन उम्र 70 साल जाति मीना निवासी कोटडी तहसील तलावडा।

--सायल--

बनाम

1. जगराम पुत्र प्यारेलाल
2. द्वारका पुत्र केदार
3. नाहरसिंह पुत्र केदार
4. प्रेमराज पुत्र अमरचन्द
5. तारा पनि पृथ्वीराज
6. भम्बल पुत्र पृथ्वीराज
7. मुन्शी पुत्र पृथ्वीराज
8. रमेश पुत्र रामजीलाल
9. रामखिलाडी पुत्र लक्ष्मण
10. बीरसिंह पुत्र चिरंजीलाल
11. शंकर पुत्र मोहनलाल

जाति मीना निवासी कोटडी तहसील तलावडा

12. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील तलावडा।

--गैरसायलान--

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः– मोहम्मद इस्लाम खांन सायल की और से।

श्री तरूण शर्मा गैरसायलान 1 ता 4 व 6 ता 11 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.08 14:48:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

सायल ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि सायल के पिता भजन पुत्र श्रीकिशन की खातेदारी ग्राम एकीकरण [illegible] 2018 ख0नं0 103 रकबा 11 बीघा 14 विस्वा ग्राम कोटडी में स्थित है जिसके वर्तमान सेटलमेन्ट में नये नम्बर 307 रकबा 2.50 हेक्टर, 308 रकबा 0.04 हेक्टर कायम किये हैं। साबिक की तुलना में सायल का 0.37 हेक्टर रकवा कम

सहायक कलेक्टर मजिस्ट्रेट

दर्ज कर दिया हैं। सायल का जो 0.37 हेक्टर रकबा सेटलमेन्ट विभाग वालो द्वारा कम दर्ज किया है उसे साविक ख0नं0 102 से बना कर नया नम्बर 306 रकबा 0.37 हेक्टर कायम किया हैं। तथा ख0नं0 306 को गैरसायलान के नाम दर्ज कर दिया हैं। सायल ने अपनी खातेदारी भूमि साविक ख0नं0 103 से बने वर्तमान सेटलमेन्ट ख0नं0 307 रकबा 2.50 हेक्टर को बानूडी देवी पत्नि धोडया लाल पुत्री जुगलाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया हैं जिससे सायल का अब कोई सम्बन्ध नही हैं। सायल आज भी भूमि ख0नं0 306 रकबा 0.37 हेक्टर पर व 308 रकबा 0.04 हेक्टर पर काबिज चले आ रहे हैं। सेटलमेन्ट की उक्त गलती की सायल को पहले कोई जानकारी नही थी। सायल दिनांक 10-6-2025 को अपने खेत की खेत की साफ सफाई कर रहा था तभी सभी गैरसायलान उक्त खेत पर आ गये तथा सायल को धमकी दी हैं कि वर्तमान सेटलमेन्ट में भूमि ख0नं0 306 उनके नाम दर्ज हो चुकी हैं। अब वे उस पर कब्जा करेगें। तुझे इस खेत में फसल नही बोने देगें। यदि फसल बो भी दी तो उसे जानवरो से नष्ट करवा देगे और खेत से बेदखल करने की धमकी दी। इसलिये सायल को यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ हैं। गैरसायलान अपनी बेजा हरकतो से तब तक बाज नही आयेगें जब तक कि उन्हें इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही कर दिया जावेगा कि वे सायल को भूमि ख0नं0 306 से बेदखल नही करें। सायल का प्राईमा फेसी केस बखूबी सावित हैं। सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में ही हैं। यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया गया तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि वे भूमि हाल ख0नं0 306 रकबा 0.37 हेक्टर स्थित ग्राम कोटडी तहसील तलावडा सायल के कब्जेकाश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करें, तथा सायल को भूमि से बेदखल नही करें तथा रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को तलब किया गया। गैरसायलान संख्या 1 ता 4 व 6 ता 11 की ओर से श्री तरूण शर्मा एडवोकेट उपस्थित हूये व गैरसायल संख्या 5 बावजूद सूचना हाजिर अदालत उपस्थित नही हुये। इसलिये उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.08 14:48:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

गयी। गैरसायल संख्या 12 की ओर से तहसीलदार प्रतिनिधि उपस्थित हुये।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के जबाव मे अप्रार्थीगण ने अंकित किया है कि भूमि के खसरा नम्बर व उनका रकबा जानकारी के अभाव में स्वीकार नही है। सायल का रकबा यदि कम हुआ है तो वह किसी दीगर रकबे मे मर्ज कर दिया होगा। जबावदारान के रकबे में सायल का कोई रकबा दर्ज नहीं है। सायल ने जबावदारान की भूमि को हडप करने के उद्देश्य से झूठा दर्ज करवाया है जो खारिज किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 306 रकबा 0.37 है० जबावदारान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जो जमाने बुजुर्गान जबावदारान की खातेदारी मे दर्ज है। जिस पर जबावदारान वर्तमान मे काबिज हो काश्त कर रहे है जिस पर जबावदारान ने सरसो की फसल काश्त की है जो जबावदारान की मेहनत से सरसब्ज है खसरा नम्बर 306 से सटवा जबावदारान की अन्य खातेदारी की भूमि और है जिसे मिलाकर जबावदारान ने एक खेत बनाया हुआ है। सायल का उक्त खसरा नम्बर पर ना तो पहले कोई कब्जा रहा है ना ही आज कोई कब्जा है। सायल ने झूठे आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 306 रकबा 0.37 हैक्ट्र स्थित ग्राम कोटडी पर सायल का कभी कोई कब्जा नही रहा है उक्त भूमि जबावदारान की खातेदारी की भूमि है। जिससे सायल का कोई वास्ता नही है सायल अपनी सम्पूर्ण भूमि को बेच चुका है तथा सायल के मन मे बेईमानी आ गयी है वह बेईमानी पूर्वक मुकदमा कर जबावदारान की भूमि को हडपचना चाहता है जिस कारण उसने झूठे आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त भूमि पर जबावदार का शुरू से कब्जा रहा है सायल का उक्त भूमि पर कोई कभी कब्जा नही रहा है। सायल ने जबावदारान की भूमि को हडप करने के उद्देश्य से झूठे आधार पर मुकदमा प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि जबावदारान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है साल का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नही है कब्जे के अभाव मे सायल जबावदारान के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जावे। वादग्रस्त भूमि जबावदारान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.08 14:48:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

नम्बर 306 रकवा 0.37 है0 साबिक खसरा नम्बर 102 से बनाये गये है। जो कि जबावदारान के बुजुर्गान मोहनलाल, रामजीलाल पिसरान भोरया अमरचन्द पुत्र श्योनारायण की खातेदारी सेट में दर्ज रहा है। तथा राजस्व कर्मचारियो ने विधि अनुसार राजस्व रिकॉर्ड तैयार कर उक्त रिकॉर्ड कायम किया है। सायल का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध वास्ता नही है उक्त भूमि जबावदारान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर जबावदारान जमाने बुजुर्गान काबिज हो काश्त कर रहे है सायल अपनी अन्य खातेदारी की भूमि को बेच चुका है। सायल के नाम उक्त गांव में कोई भूमि नही है। सायल ने बेईमानी पूर्वक जबावदारान को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से झूठे आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन मे सायल ने फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्बत 2073–76 खाता संख्या 62, मिलान क्षेत्रफल की फोटोप्रति, नकल नक्सा ट्रेस की फोटो प्रति, नकल भूमि एकीकरण की फोटो प्रति प्रस्तुत किये है।

बहस विद्ववान वकील उभय पक्ष सुने गयी सायल के पिता भजन पुत्र श्रीकिशन की खातेदारी भूमि एकीकरण संवत 2018 ख0नं0 103 रकबा 11 बीघा 14 विस्वा ग्राम कोटडी में स्थित हैं जिसके वर्तमान सेटलमेन्ट में नये नम्बर 307 रकबा 2.50 हेक्टर, 308 रकबा 0.04 हेक्टर कायम किये हैं। साबिक की तुलना में सायल का 0.37 हेक्टर रकवा कम दर्ज कर दिया हैं। जो कि साविक ख0नं0 102 से बना कर नया नम्बर 306 रकबा 0.37 हेक्टर कायम किया हैं। जिसे गैरसायलान के नाम दर्ज कर दिया हैं। सायल आज भी भूमि ख0नं0 306 रकबा 0.37 हेक्टर व 308 रकबा 0.04 हेक्टर पर काबिज चले आ रहे हैं। वर्तमान मे सेटलमेन्ट मे भूमि खसरा नम्बर 306 गैरसायलान के नाम दर्ज हो चुकी है जो कि कब्जा करने पर आमादा है इसलिये गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.08 14:48:30 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायलान ने अपनी बहस मे कहा कि जबावदारान के रकबे मे सायल का कोई रकबा दर्ज नही है। सायल ने जबावदारान की भूमि को हडपने के उद्देश्य से झूठा बाद दर्ज करवाया है जो खारिज किये जाने योग्य

सहायक कलेक्टर
व कार्यपालक मजिस्ट्रेट
...पुर सिटी (स०मा०)

है। खसरा नम्बर 306 रकबा 0.37 है0 जबावदारान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जो बुर्जुगान के जमाने से जबावदारान की खातेदारी मे दर्ज है। जिस पर जबावदारान वर्तमान मे काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं वर्तमान मे उक्त भूमि पर सरसो की फसल काश्त की है। खसरा नम्बर 306 से सटवाँ ही जबावदान की भूमि है जिसे मिलाकर एक खेत बनाया हुआ है। सायल अपनी सम्पूर्ण भूमि को बेच चूका है एवं झूठ के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत अभिलेखो व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि खसरा नम्बर 306 रकबा 0.37 है0 गैरसायलान की खातेदारी की भूमि है तथा सायल ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे विवादित भूमि पर सायल का कब्जा सावित हो सके। प्राईमा फेसी केस सायल का नही होकर गैरसायलान के पक्ष मे है क्योकि भूमि की खातेदारी गैरसायलान के नाम दर्ज है। सुविधा का सन्तुलन भी गैरसायलान के पक्ष मे है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो गैरसायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो वाद तकमील मूल वाद के संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.08 14:48:30 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी